संख्या–496(1)/9–आ–4–99

प्रेषक,

श्री राज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक :15 फरवरी, 1999

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु आंकलित धनराशि डिमांड नोटिस जारी होने के 90 दिन के अन्दर जमा किये जाने पर 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पट्टागत नजूल भूमि के फ्री–होल्ड हेतु जारी डिमांड नोटिस की सम्पूर्ण धनराशि नोटिस जारी होने के 90 दिन में जमा किये जाने पर 20: की छूट अनुमन्य है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहाँ तक छूट का प्रश्न है, 90 दिन के अन्दर एक मुश्त भुगतान करने का अभिप्राय यह है कि 90 दिन में पूरा भुगतान होना चाहिए। यदि आंकलित सम्पूर्ण धनराशि 2 या 3 तिथियों मं किन्तु 90 दिन के अन्दर जमा हो जाती है तो आवेदक को 20: की छूट नियमानुसार प्रदान की जाय। कृपया तदनुसार नजूल भूमि के फ्री–होल्ड प्रकरणों में कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

रामकुमार सिंह
अनु सचिव